आर.टी.आई
स्पीड पोस्ट

मि. सं. 29-26/2022–स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली–110012
दिनांक: 5 अगस्त, 2022

सेवा में,

सुश्री आशा पोसवाल
मकान न0 12, छावनी अस्पताल कम्पाउंड
देहरादून, उत्तराखंड–248003.

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति–विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए सुश्री0 आशा पोसवाल, उत्तराखंड, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00054 दिनांक 04.07.2022)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

क्रम स.	मांगी गई सूचना	जवाब
1.	भारत सरकार के द्वारा कृषि सम्बंधित जो राजन्थान राज्यों के किसानो को योजनाये व सुविधाये दी जा रही हैं उनकी जानकारी प्रदान की जाए .	योजनाओ का संक्षिप्त ब्यौरा क्रम स० 5 पर है व योजनाओ से सम्बंधित अतिरिक्त जानकारी इस निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in पर भी उपलब्ध है.
2.	भारत सरकार व राज्य सरकार की समस्त किसान से सम्बंधित सभी सुविधाओ की जानकारी हिंदी में दी जाए.	
3.	भारत सरकार की प्रधान मंत्री कुशम योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार की कागजी कार्यवाही के साथ राजस्थान राज्य में जिला दौसा, गाँव भंद्रेज में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते है उस विभाग का नाम पता बताया जाए.	यह विस्तार निदेशालय से सम्बंधित नहीं है.
4.	प्रधान मंत्री सोलर पैनल योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकते। बताया जाए.	यह विस्तार निदेशालय से सम्बंधित नहीं है.
5.	कृषि मंत्रालय द्वारा किसानो को मिलने वाली समस्त योजनाओ व लाभों को प्राप्त करने की पूर्ण जानकारी विभागों की सूची के साथ हिंदी में उपलब्ध करने की कृपा करे.	I. आत्मा योजना - संलग्नक-क II. किसान कॉल सेंटर - संलग्नक -ख III. एग्री-क्लिनिक एवं. एग्री-बिज़नस केंद्र - संलग्नक-ग IV. विस्तार शिक्षा संसथान - संलग्नक-घ V. विस्तार निदेशालय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय में कौशल विकास गतिविधिया -संलग्नक-घ VI. इनपुट डीलरों के लिए कृषी विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा -संलग्नक- घ VII. ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण -संलग्नक-घ
6.	भारत सरकार की कृषि सम्बंधित सम्पूर्ण योजनाओ को राजस्थान राज्य में लागू करने वाले विभाग का नाम, पता, दूरभाष, ई-मेल पता बताया जाए.	यह विस्तार निदेशालय से सम्बंधित नहीं है.
7.	प्रधानमंत्री कुशम योजना व प्रधान मंत्री सोलन	यह विस्तार निदेशालय से सम्बंधित नहीं है.

2/-

	योजना के लिए राजस्थान राज्य के किसान कहा पर सम्पर्क कर सकेगे उस विभाग का नाम पता बताया जाए.	
8.	किसानो को रोजगार प्रदान करेने की कोई और सुविधा भारत सरकार द्वारा दी जा रही है तो सारी जानकारी दी जाए.	यह विस्तार निदेशालय से सम्बंधित नहीं है.

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :–

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कमरा संख्या 216, कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली–110 012,
दूरभाषः– 011–25847660 व ई–मेल पताः–shailesh.mishra29@gov.in

दीपा 4/8/2022

(दीपा पांडे)
उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आइ.ओ.)
दूरभाषः– **011.25846467**
ई–मेलः– deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाव को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट www.krishivistar.gov.in. पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक – 'क'

विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता योजना (आत्मा योजना):

आत्मा योजना किसानों के कल्याण एवं विकास हेतु वर्ष 2005 से अमल में है । यह योजना वर्तमान में 29 राज्यों में एवं 03 केंद्र शासित प्रदेशों के 704 जिलों में क्रियान्वित है (जिसमे राजस्थान के सभी 33 जिले शामिल है). आत्मा योजना के अंतर्गत किसानो को नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी जाती है । नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी हेतु कृषकों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, भ्रमण दौरों, किसान मेला, किसान गोष्ठी, कृषक-वैज्ञानिक-परिचर्चा, फार्म स्कूलों इत्यादी गतिविधियों के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है । इसके अलावा प्रगतिशील किसानों को उनके उत्कृष्ठ प्रदर्शन/कार्यों हेतु सम्मानित भी किया जाता है ।

प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह आत्मा यजन के सन्दर्भ में अधि जानकारी हेतु STATE NODAL OFFICE (ATMA), GOVERNMENT OF RAJASTHAN, DIRECTORATE OF AGRICULTURE, PANT KRISHI BHAWAN, JAIPUR -302018 (RAJASTHAN) से सम्पर्क कर सकते है ।

आत्मा योजना के दिशा-निर्देश http://extensionreforms.dacnet.nic.in/PDF/atmaguid23814.pdf वेब लिंक पर क्लिक कर देखे जा सकते हैं ।

संलग्नक - २१

किसान कॉल सेंटर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के सवालों के जवाब टेलीफोन के माध्यम से उनकी भाषा में देने के लिए 21 जनवरी, 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना की शुरुआत की थी । इस योजना के माध्यम से किसान अपनी समस्यायों का एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क टेलीफोन नं. 1800-180-155। पर डायल कर निदान पा सकता है। यह नंबर सभी मोबाईल फोन और निजी सेवा प्रदाताओं सहित सभी दूर संचार नेटवर्कों के लैंडलाईन से मिलाया जा सकता है।

कृषक समुदाय के प्रश्नों के उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं। केसीसी देश के 17 स्थानों से संचालित होते हैं, जो सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हैं। किसान कॉल सेंटर सेवा सप्ताह के सातों दिन प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 05:00 बजे तक उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर एजेंटों को फार्म टेली एडवाइजर (एफटीए) के नाम से जाना जाता है, जो कृषि अथवा संबद्ध क्षेत्रों में स्नातक या अधिक (परास्नातक या वाचस्पति) शिक्षित हैं फार्म टेली सलाहकारों द्वारा प्रश्नों का उत्तर न दिये जाने पर इसे कॉल कॉनफ्रेंसिंग मोड में उच्च स्तर के विशेषज्ञों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये विशेषज्ञ राज्य कृषि विभागों, आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विषय वस्तु विशेषज्ञ होते हैं।

वर्तमान मे सभी किसान कॉल सेंटरों पर उच्च स्तर पर परामर्श के लिए कॉल एसकेलेसन, वाईस मेल, जैसी आधुनिक तकनीकों का जैसी सुविधाये उपलब्ध है साथ ही 100 प्रतिशत कॉल रिर्कोडिंग, प्रत्येक कॉल के अंत में, कॉलर का फीडबैक, इसके साथ ही केसीसी फार्म टेली एडवाइजर्स (एफटीएएस) द्वारा दिए गए जवाबों का सार किसानों को एसएमएस द्वारा भी भेजा जाता है।

संलग्नक – II

एग्री-क्लीनिक एवं एग्री-बिजनेस केंद्र (एसी एंड एबीसी)

कृषि विस्तार की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत कृषोन्नति योजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का विस्तार प्रभाग केंद्रीय क्षेत्र के घटक "एग्री-क्लीनिक एवं एग्री-बिजनेस केंद्र (एसी एंड एबीसी) की स्थापना" सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों की पूर्ति, कृषि विकास को सहायताएवं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अप्रैल, 2002 से लागू की जा रही है।

यह योजना वित्तीय सहायता सहित स्थापित कृषि उद्यमों के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को सलाह और विस्तार सेवाएं प्रदान करने में एसी और एबीसी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कृषि-उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है।ये कृषि-उद्यमी किसानों को मृदा स्वास्थ्य, फसल पद्धति, पौधों की सुरक्षा, कटाई के बाद की तकनीक आदि सहित विभिन्न तकनीकों पर सलाह और विस्तार सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद प्रशिक्षण घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एसी और एबीसी योजना के सब्सिडी घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

योजना के तहत, 18-60 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार उम्मीदवार,जो देश के विभिन्न हिस्सों में चयनित नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के माध्यम से कृषि और संबद्ध विषयों में डिग्री/डिप्लोमा, कृषि में इंटरमीडिएट, कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में पीजी के साथ विज्ञान स्नातक और जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में स्नातक हैं,को45 दिनों की अवधि का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।एनटीआई भी प्रशिक्षित उम्मीदवारों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि-उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है तथा नाबार्ड के माध्यम से बैंकों से ऋण सहायता और सब्सिडी सहायता प्रदान करने में सुविधा प्रदान करती है।योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की सांकेतिक सूची अनुबंध-I में संलग्न है।

अनुबंध -1

एसीएबीसी योजना के अंतर्गत कृषि उद्यमों की सांकेतिक सूची

* विस्तार परामर्श सेवाएं
* मृदा और पानी की गुणवत्ता सह इनपुट परीक्षण प्रयोगशालाएं
* फसल संरक्षण सेवाओं सहित कीट निगरानी, नैदानिक और नियंत्रण सेवाएं (वायरस, कवक, बैक्टीरिया, नेमाटोड, और कीट रोग सहित रोगजनक पौधों का पता लगाना के लिए कल्चर रूम सहित, आटोक्लेव, माइक्रोस्कोप, एलिसा किट आदि)
* प्लांट टिशु कल्चर लैब सहित सूक्ष्म प्रसार एवं इकाइयाँ
* उत्पादन, रखरखाव और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित कृषि उपकरण और मशीनरी को किराये पर लेना
* बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाइयाँ
* वर्मीकल्चर इकाइयाँ
* जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों एवं अन्य जैव-नियंत्रण एजेंट का उत्पादन
* मधुमक्खी पालन और शहद और मधुमक्खी उत्पाद के प्रसंस्करण की इकाइयाँ
* कृषि बीमा सेवाएं
* कृषि पर्यटन
* कृषि पत्रकारिता - फिल्म निर्माण, कृषि प्रकाशन एवं प्रदर्शनियां
* मुर्गी एवं मत्स्य पालन प्रजनन
* फ्रोजन वीर्य बैंक और तरल नाइट्रोजन आपूर्ति एवं कृत्रिम वीर्यसेचन सहित पशुधन स्वास्थ्य कवर, पशु चिकित्सा दवाइयां और सेवाएं;
* सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क;
* चारा उत्पादन, विपणन एवं परीक्षण इकाइयां
* मूल्यवर्धन केंद्र
* शीत भंडारण इकाइयों सहित कूल चेन।
* छंटाई, ग्रेडिंग, मानकीकरण, भंडारण और पैकेजिंग के लिए फसलोपरांत प्रबंधन केंद्र
* धातु और गैर-धातु भंडारण संरचनाएं
* बागवानी क्लिनिक, नर्सरी, भूनिर्माण, फूलों की खेती
* रेशम उत्पादन
* सब्जी उत्पादन और विपणन
* प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए खुदरा विपणन केन्द्र;
* कृषि निवेश एवं आदानों का उत्पादन और विपणन
* अनुबंध खेती;
* फसल उत्पादन और प्रदर्शन;
* मशरूम उत्पादन;
* औषधीय और सुगंधित पौधों का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन;
* डेयरी, पोल्ट्री, सुअर, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, इमू पालन, खरगोश पालन आदि जैसी उत्पादन इकाइयां।

संलग्नक - च

केंद्रीय संस्थान -एचआरडी घटकों को विस्तार समर्थन

1. **विस्तार शिक्षा संस्थान**(राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि और संबद्ध विभागों के तहत काम करने वाले मध्यम स्तर के क्षेत्र के अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।कृषि मंत्रालय ने क्षेत्रीय आधार पर चार विस्तार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की है हरियाणा में नीलोखेड़ी तेलंगाना में हैदराबाद गुजरात में आनंद व आसाम में जोरहाट | ईईआई की गतिविधियों में संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण प्रबंधन, कृषि ज्ञान सूचना प्रणाली) एकेआईएस (और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में ऑन-कैंपस / ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सम्मेलन, सेमिनार और परामर्श सेवाएं शामिल हैं।

2. **विस्तार निदेशालय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय में कौशल विकास गतिविधियां:** - ग्रामीण युवाओं, किसानों और खेत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल पाठ्यक्रम (न्यूनतम 200 घंटे की अवधि) के संचालन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के परामर्श से विस्तार निदेशालय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने ठोस प्रयास किए हैं। कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DAC & FW के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तृत नेटवर्क ,राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (EEI) और आईसीएआर के कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, नर्सरी स्थापना, कृषि उपकरणों और मशीनरी के रखरखाव और मरम्मत, सूक्ष्म सिंचाई, ग्रीन हाउस फिटर, पशुपालन डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं।

3. **इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (DAESI)**: - DAESI एक वर्ष 48)सप्ताह के लिए सप्ताह में एक दिन आयोजित किया जाता है में क्षेत्रों संबद्ध अन्य और कृषि में 2015 अक्टूबर से रूप नियमित (वे ताकि है गया किया शुरू से उद्देश्य के करने प्रदान शिक्षा को डीलर्स इनपुटविनियामक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के अलावा विस्तार सेवाएं के साथ अपने व्यवसाय से जुड़ाव स्थापित कर सकें| DAESI कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में SAMETI के माध्यम से एग्रीबिजनेस कंपनियों, ATMA, KVKs, एग्रील कॉलेज और एनजीओ की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। | 40 इनपुट डीलरों के प्रशिक्षण के लिए DAESI कार्यक्रम के एक बैच के लिए रु। 20,000 / - का प्रावधान है।

4. **ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई)**: - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं और किसानों को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 2015 में एसटीआरवाई शुरू किया गया था। एसटीआरवाई के तहत प्रशिक्षण 7 दिनों की अवधि (प्रति बैच 15 प्रशिक्षुओं के लिए) और प्रशिक्षण गतिविधियों को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों SAMETI के माध्यम से समन्वित किया जाता है, जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय/ केवीके, गैर सरकारी संगठन, व्यावसायिक प्रशिक्षण संगठन, युवा संगठन आदि शामिल होते हैं।